छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 30.03.2016

कमांक.731/676/2016/16, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों (Medium Risk Industries) के लिए अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है ।

सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योग/स्थापन यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (D.G.F.A.S.LI.) या सेन्ट्रल ब्यॉलर बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अन्य पक्ष (Third Party) से श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रकिया से मुक्त रखा जायेगा जो उद्योग/स्थापना निर्धारित समय–सीमा तक 30 जून तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

O/C (याकुब खेस्स) 9/3/16
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क.732/676/2016/16
रायपुर, दिनांक – 30.03.16

प्रतिलिपि–

1 निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2 स्टाफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग,मंत्रालय, रायपुर(छ.ग.)
3 श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4 मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, रायपुर ।
5 संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,छ.ग.रायपुर ।
6 विभाग के सभी संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7 उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

O/C 9/3/16
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग